न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
22/2024	14.06.2024	31.10.2025

सन्तोष पुत्र घासी, मीना निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

1. रायसिंह पुत्र नारायण मीना निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी
2. लैण्डहोल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राज0 अधिनियम

उपस्थित :– श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री सियाराम मीना, एडवोकेट, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की भूमि हाल ख0न0 1354/13 रकबा 0.04 है0, ख0न0 1356/14 रकबा 0.06 है0, ख0न0 1358/362 रकबा 0.14 है0, ख0न0 1360/364 रकबा 0.17 है0, ख0न0 1362/365 रकबा 0.085 है0, ख0न0 1364/639 रकबा 0.38 है0 ग्राम अरनिया मे स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1354/13 रकबा 0.04 है0 के लगवा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1353/13 रकबा 0.43 है0 तथा खसरा नम्बर 1356/14 से लगती हुई खसरा नम्बर 1355/14 रकबा 0.47 है0 भूमि है। जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। इसी प्रकार प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1358/362 से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 1357/362 रकबा 0.14 है0 व खसरा नम्बर 1362/365 से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 1361/365 है। जिनकी सीमाओं को नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1360/364 रकबा 0.17 है0 से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 1359/364 रकबा 0.17 है0 जिसकी सीमा को नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है एवं प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1364/639 रकबा 0.38 है0 से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 1363/639 रकबा 0.45 है0 ग्राम अरनिया में है। जिसकी सीमा को नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 में सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद रहता है। इसलिए प्रा[illegible]मि का दिनांक 22.05.2024 को सीमाज्ञान करवा लिया। दिनांक 30.05.[illegible] को जब प्रार्थी पटवारी हल्का द्वारा बताये गए सीमा चिन्हों के अनुसार [illegible] तारबंदी करवाने हेतु मौके पर गया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को तारबंदी करने से रो[illegible] और कहा कि मैं सीमाज्ञान को नही मानता ता[illegible]दी करवानी है तो प[illegible] करवा लो। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि हाल ख0न0 1354/13 रकबा 0.04 है0, ख0न0 1356/14 रकबा 0.06 है0, ख0न0 1358/362 रकबा 0.14 है0, ख0न0 1360/364 रकबा 0.17 है0, ख0न0 1362/365 रकबा 0.085 है0, ख0न0 1364/639 रकबा 0.38 है0 ग्राम अरनिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

की नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गयी सीमाएं जो अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि से लगती हुई है का सीमाज्ञान व पत्थरगढी तहसीलदार गंगापुर सिटी से पुलिस सुरक्षा में करवाये जाने के आदेश दिये जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल फर्द मौका ग्राम अरनिया दिनांक 29.05.2024, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 299, खाता संख्या 250 ग्राम अरनिया, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से इनके अभिभाषक उपस्थित हुए परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 का जबाब का अवसर बंद किया गया।

वकील उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी सख्या 1 के अभिभाषक ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उसकी भूमि ख0न0 1354/13 रकबा 0.04 है0, 1356/14 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1358/362 रकबा 0.14 है0, ख0न0 1360/364 रकबा 0.17 है0, ख0न0 1362/365 रकबा 0.0850, ख0न0 1364/639 रकबा 0.38 है0, ख0न0 15 रकबा 0.80 है0, ख0न0 650 रकबा 0.47 है0 ग्राम अरनिया तह0 गंगापुर सिटी का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थी को पडौसी काश्तकार से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल ख0न0 1354/13 रकबा 0.04 है0, ख0न0 1356/14 रकबा 0.06 है0, ख0न0 1358/362 रकबा 0.14 है0, ख0न0 1360/364 रकबा 0.17 है0, ख0न0 1362/365 रकबा 0.085 है0, ख0न0 1364/639 रकबा 0.38 है0 ग्राम अरनिया की पत्थरगढी करवावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसलशुमार होकर नकल से काम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर एवं ... सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)